कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन 2011 में संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनयम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं बजट प्राक्कलनों की तुलना में 2020-21 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आंकलन; तथा राज्य सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा आर्थिक सर्वेक्षण (राज्य सरकार द्वारा किए गए) एवं जनगणना जैसे कई स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त जानकारी पर आधारित यह प्रतिवेदन पांच अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा उपलब्ध करता है।

अध्याय-I इस प्रतिवेदन एवं अंतर्निहित डेटा (विवरणों) के मूल आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है, जिसमें सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों का वृहद राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय प्रास्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

अध्याय-II वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हुए विगत वर्ष से सम्बंधित प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों, विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा एवं प्रमुख लोक लेखा लेनदेन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्याय-III विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान-वार विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों की कार्य-पद्धति में कमियों व चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणामों पर टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

अध्याय-IV राज्य सरकार की विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं की गुणवत्ता का विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय-V में सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी वित्तीय विवरणियों/प्रदर्शन पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I: विहंगावलोकन

- राज्य सरकार ने घाटे से उबरने के उपायों एवं ऋण स्तर के सम्बन्ध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य प्रदान करने के लिए अप्रैल 2005 में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया। घाटे व ऋण स्तर हेतु पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया।

- वर्ष 2020-21 के दौरान 15वें वित्तायोग एवं हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजस्व अधिशेष को बनाए रखने के लक्ष्य के विपरीत, राजस्व घाटा (₹ 97 करोड़) हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.64 प्रतिशत वास्तविक राजकोषीय घाटा 15वें वित्तायोग के लक्षित चार प्रतिशत के भीतर रहा, परन्तु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रहा। कुल बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, जो 42.91 प्रतिशत था, 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (36 प्रतिशत) से काफी ऊपर था।

(परिच्छेद 1.5.1)

- वर्ष 2020-21 के दौरान गत वर्ष के ₹ 12 करोड़ के राजस्व अधिशेष की तुलना में ₹ 97 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। विगत वर्ष (₹ 5,597 करोड़) की तुलना में 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटे (₹ 5,700 करोड़) में ₹ 103 करोड़ की वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान प्राथमिक घाटा 2019-20 के ₹ 1,363 करोड़ से घटकर ₹ 1,228 करोड़ हो गया।

(परिच्छेद 1.5.3)

अध्याय II: राज्य के वित्त

- 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष से 8.77 प्रतिशत (₹ 2,695.86 करोड़) की वृद्धि पाई गई। करों एवं कर-भिन्न को मिला कर राज्य के स्वयं के संसाधनों से मात्र 31 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां हुईं जबकि शेष 69 प्रतिशत, केन्द्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश (14 प्रतिशत) तथा भारत सरकार के सहायता-अनुदान (55 प्रतिशत) मिलकर केन्द्रीय अंतरणों द्वारा प्राप्त हुई।

(परिच्छेद 2.3.2.1)

- पांच वर्ष की अवधि (2016-21) में कुल व्यय में ₹ 7,031.31 करोड़ (21.88 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान राज्य का कुल व्यय (₹ 39,164.25 करोड़) विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 2,801.70 करोड़ (7.70 प्रतिशत) बढ़ गया। 2016-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 78.9 प्रतिशत से 86.7 प्रतिशत के मध्य रहा। इसी अवधि में राजस्व व्यय की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। 2016-21 की पांच साल की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय, राज्य के राजस्व व्यय में (67-71 प्रतिशत) व राजस्व प्राप्तियों में (65-70 प्रतिशत) प्रमुख हिस्सा रहा।

(परिच्छेद 2.4.1, 2.4.2 व 2.4.2.2)

- 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 5,309 करोड़) विगत वर्ष 2019-20 से ₹ 136 करोड़ (2.62 प्रतिशत) बढ़ गया तथा 2019-20 के 14.23 प्रतिशत की अपेक्षा कुल व्यय का 13.56 प्रतिशत रहा।

(परिच्छेद 2.4.3)

- वर्ष की समाप्ति पर समग्र राजकोषीय देयता वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक के बाद एक ऋण (बैक-टू-बैक लोन) के रूप में दिए गए ₹ 1,717 करोड़ को छोड़ने के बाद ₹ 67,164.75 करोड़ रही। 2020-21 में इनमें विगत वर्ष के 14.57 प्रतिशत की तुलना में 7.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयता का अनुपात 42.91 प्रतिशत था (एक के बाद ऋण (बैक-टू-बैक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़कर)।

(परिच्छेद 2.6.1)

- 31 मार्च 2021 को ₹ 43,845 करोड़ (एक के बाद एक ऋण (बैक-टू-बैक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं ₹ 618 करोड़ जिनकी परिपक्वता अनिश्चित थी, को छोड़ कर) के लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा से पता चला कि 2025-26 तक अगले पांच वर्षों के दौरान लोक ऋण चुकौती व ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 6,416 करोड़ होगा। 2025-26 तक अगले पांच वर्षों के दौरान बाजारी ऋण चुकौती व ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग **₹** 4**,**211 करोड़ रहेगा।

(परिच्छेद 2.6.2)

अध्याय III: बजटीय प्रबंधन

- 2020-21 में कुल बजट प्रावधान ₹ 61,597 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 53,139 करोड़ (86 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8,458 करोड़ (14 प्रतिशत) की बचत हुई। 2020-21 में पांच मामलों (पांच अनुदानों से संबंधित) में बजट प्रावधान से ₹ 88.69 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ।

(परिच्छेद 3.1.1 व 3.3.8.1)

- 2020-21 के दौरान 10 अनुदानों (राजस्व/पूंजीगत- दत्तमत एवं प्रभारित-दत्तमत) के तहत 10 मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए, जहां ₹ 140.23 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। तीन मामलों में ₹ 349.83 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि कुल ₹ 88.60 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को शेष छोड़ते हुए, यह आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थे।

(परिच्छेद 3.3.4)

- 13 मामलों में पुनर्विनियोजन (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ व उससे अधिक की बचत) अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि इन मामलों में बचत पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। दूसरी ओर, 13 मामलों में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त साबित हुआ क्योंकि इन अनुदानों के अंतर्गत आधिक्य बना हुआ था।

(परिच्छेद 3.3.6)

अध्याय IV: लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता

- ₹ 3,557.83 करोड़ के अनुदानों हेतु कुल 2,799 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,587.07 करोड़ के अनुदानों हेतु 1,487 उपयोगिता प्रमाणपत्र 2015-16 से 2018-19 की अवधि से सम्बंधित थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की कुल ₹ 3,557.83 करोड़ की राशि में से 69.43 प्रतिशत तीन विभागों से सम्बंधित थे- पंचायती राज: 35.68 प्रतिशत (₹ 1,269.55 करोड़); शहरी विकास: 20.96 प्रतिशत (₹ 745.69 करोड़); तथा ग्रामीण विकास: 12.79 प्रतिशत (₹ 454.98 करोड़)।

(*परिच्छेद 4.5*)

- 2020-21 के दौरान 41 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 970 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय (₹ 38,844 करोड़) का 2.50 प्रतिशत थी, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत की गई थी। इसी भांति 48 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 1,332 करोड़ की राशि, जो कुल प्राप्तियों (₹ 33,441 करोड़) का 3.98 प्रतिशत थी, लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुक की गई थीं।

(*परिच्छेद 4.9*)

अध्याय V: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

- 31 मार्च 2021 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम थे। इनमें राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यम एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 अन्य उद्यम शामिल हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में 19 सरकारी कंपनियां, दो सांविधिक निगम व चार सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां हैं।

(*परिच्छेद 5.3*)

- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों में से, 2019-20 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों द्वारा ₹ 36.24 करोड़ के अर्जित लाभ की अपेक्षा, नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 11 कार्यशील उद्यमों द्वारा ₹ 28.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सात उद्यमों ने या तो अपने प्रथम लेखे तैयार नहीं किए थे या उनके पास दर्ज करने योग्य लाभ व हानि

नहीं थे (व्यवसायिक परिचालन शुरू नहीं हुआ था या आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी)।

(परिच्छेद 5.5.1)

- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल तीन उद्यमों ने ₹ 2.25 करोड़ (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 0.35 करोड़, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड: ₹ 1.54 करोड़ व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड: ₹ 0.36 करोड़) का लाभांश घोषित/भुगतान किया। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों ने ₹ 2.58 करोड़ का लाभांश राज्य सरकार को नहीं चुकाया/प्रदान नहीं किया। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष चार उद्यम, राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान करने हेतु योग्य/अपेक्षित नहीं थे।

(परिच्छेद 5.5.2)

- 30 नवंबर 2021 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 11 कार्यशील उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल 17.51 प्रतिशत था। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 26 कार्यशील उद्यम, जिसमें घाटे में चल रहे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उद्यम भी सम्मिलित हैं, का इक्विटी पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा।

(परिच्छेद 5.7.2)

- वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उद्यमों द्वारा उठाई ₹ 518.60 करोड़ की कुल हानि में से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ₹ 146.43 करोड़ की हानि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार उन्हें क्रमशः ₹ 185.32 करोड़ एवं ₹ 105.98 करोड़ की हानि हुई।

(परिच्छेद 5.8.1)

- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों में ₹ 4,074.85 करोड़ की संचित हानि पाई गई। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 में से नौ उद्यमों का नेटवर्थ संचित हानियों के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया एवं उनका नेटवर्थ या तो शून्य था या ऋणात्मक था।

(परिच्छेद 5.8.2)